न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–04 सन् 2022

हरेश्वर सिंह...................वादी

बनाम

दिनेश्वर सिंह व अन्य........................प्रतिवादीगण

दिनांक– 09.05.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख वादी की ओर से अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 23.02.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने यह वाद अपने सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिश की भूमि के संबंध में बंटवारा के परितोष की मांग किया है। प्रतिवादी सं0 10, प्रतिवादी सं0 11 वो 12 की मां है जो अपने राय वो साजिश में करके वादी के एक हस्सा को हड़पने की नियत से गलत तरीके से बैनामा बिना मोक्कमिल बंटवारा प्रतिवादी सं0 13 को बैनामा किया है। जिसके संबंध में कथित बैनामा को शुन्य घोषित करने के लिए परितोष की मांग किया है। इस वाद की समन वो निबंधित डाक द्वारा समन प्रतिवादी को प्राप्त हुआ है। जिससे रंजिस होकर प्रतिवादी सं0 10 वो 13 मिलकर मौजा–आमी, थाना–दिघवारा, जिला–सारण के इजमाली संपत्ति में नया निर्माण करने वो मरई, पलानी खड़ा करने के लिए पूरी तरह योजना बना लिया है। प्रतिवादी सं0 10 वो 13 नाजायज कार्रवाई को रोकने के लिए निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र दाखिल किया है। निषेधाज्ञा आवेदन के सुनवाई में मौजा–आमी, थाना–दिघवारा, जिला–सारण क भूमियों का मौजूदा स्थिति क्या है?

इसके संबंध में स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति कर निरीक्षण कराकर प्रतिवेदन प्राप्त कर लेना जरूरी है। वादी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त का निरीक्षक शुल्क न्यायालय के आदेशानुसार जमा करने को तैयार है। अतः आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर स्थानीय अधिवक्ता नियुक्ति कर प्रतिवेदन मांग लिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में एकमात्र वादी ने यह बंटवारा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर प्रतिवादी के विरूद्ध 1/3 हिस्से में आधा हिस्सा की बंटवारा की डिक्री के अनुतोष की प्राप्ति हेतु दाखिल किया है। साथ ही बैनामा नविस्ते प्रतिवादी सं0 10 ता 12 बनाम प्रतिवादी सं0 13 दिनांक 25.06.2021 को शुन्य घोषित करने हेतु वाद दाखिल किया है। न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति विवादित स्थल के वर्ममान स्थिति के संबंध में अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.02.2022 को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति शुल्क 2500/–रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 13.05.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।